न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : महीपाल सिंह आर0ए0एस0

संख्या : 11/2018 प्रार्थनापत्र

अनवान

नवाब खां पिता चांद खां कायमखानी मुतक जरिये वारिसान

1/1. बाबु खां पुत्र स्व. श्री नवाब खां कायमखानी नि0 बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

1/2. सलीमखां पुत्र स्व. श्री नवाब खां कायमखानी नि0 बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

1/3. मुंशी खां पुत्र स्व. श्री नवाब खां कायमखानी नि0 बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

1/4. श्रीमती भूरबानू पुत्री स्व. श्री नवाब खां कायमखानी नि0 बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

2. अल्लाउद्दीन खां कायमखानी पुत्र श्री चांद खां कायमखानी नि0 बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

—प्रार्थी गण

बनाम

1. रमेश पुत्र बालु माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. रामलाल पुत्र बालु माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. श्यामलाल पुत्र बालु माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
4. लेहरी धर्मपत्नी बालु माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
5. गीता पुत्री बालु माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
6. देवी पुत्री बालु माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
7. पार्वती पुत्री बालु माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
8. सीता पुत्री बालु माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
9. लक्ष्मण पुत्र काना माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
10. प्रभुलाल पुत्र हजारी नायक निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
11. जमना पुत्र हजारी नायक निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
12. सीताराम पुत्र हजारी नायक निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
13. समुन्द्र पुत्र हजारी नायक निवासी सुल्तानगढ तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
14. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कार्यालय बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —

1. श्री अरूण देराश्री (अधिवक्ता प्रार्थी)
3. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 21—01—21

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 05.01.2018 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में अन्य विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पेश नही किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा बनेडा पटवार मण्डल बनेडा तहसील बनेडा स्थित खाता संख्या 654 का आराजी नम्बर 4666 रकबा 01.08 बीघा , 4667 रकबा 0.16 बीघा , 4668 रकबा 0.07 बीघा , 4669 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा , 4670 रकबा 0.11 बीघा , 4671 रकबा 1.08 बीघा 4672 रकबा 01.06 बीघा , 4673 रकबा 0.04 बीघा , भूमि प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी-पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 4658 , 4659 के मेर के सहारे-सहारे 16 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2019 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

दिनांक 08.01.2020 को प्रकरण में हल्का पटवारी बबराणा द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्षा प्रस्तावित नक्षा ट्रेस, एंव जमाबन्दी शामिल मिसल किये गये।

प्रार्थी संख्या 01 की मृत्यु हो चुकी है जिनकी ओर से प्रार्थी अधिवक्ता से 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी के तहत पेश किया जो स्वीकार की जाकर शामील मिसल की गई है ।

अप्रार्थी संख्या 09 एंव 11,12,13 उप0 एंव अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 बाद तामिल अनुउपस्थित जिनके एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है । प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा बनेडा के रमेश रामलाल पिता बालू वगेरा निवासी बनेडा के नाम दर्ज खातेदारी आराजी नं. 4658 रकबा 0-08 बीघा किस्म बीड मे से 0-01 बीघा तथा आराजी नं. 4659 रकबा 0-12 बीघा किस्त जाव चाही मे से 0-03 बीघा भूमि कुल किता 02 रकबा 0-04 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251-(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

परन्तु तहसील कार्यालय बनेडा से हल्का पटवारी बबराणा की मार्फत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है जो निम्न है -

1. ग्राम बनेडा की आराजी नं. 4658 रकबा 0-08 बीघा किस्म बीड मे से 0-01 बीघा तथा आराजी नं. 4659 रकबा 0-12 बीघा किस्त जाव चाही मे से 0-03 बीघा भूमि कुल किता 02 रकबा 0-04 बीघा सुलभ रास्ता दिया जा सकता है ।
2. ग्राम बनेडा की डीएलसी दरो की प्रमाणित प्रति संलग्न है ।

उपखण्ड आधिकारी
बनेडा (भीलवाड़ा)

मेने पत्रावली का उद्योपान्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 16 फिट का रास्ता चाहा गया था। परन्तु अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा बनेडा की आराजी नं. 4658 रकबा 0–08 बीघा किस्म बीड मे से 0–01 बीघा तथा आराजी नं. 4659 रकबा 0–12 बीघा किस्त जाव चाही मे से 0–03 बीघा भूमि कुल किता 02 रकबा 0–04 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है । उक्त प्रस्तावित भूमि की डीएलसी 137394/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 0.04 बीघा की 27480/– रूपये बनती है ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। एंव मौजा बनेडा की आराजी नं. 4658 रकबा 0–08 बीघा किस्म बीड मे से 0–01 बीघा तथा आराजी नं. 4659 रकबा 0–12 बीघा किस्त जाव चाही मे से 0–03 बीघा भूमि कुल किता 02 रकबा 0–04 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाते है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित उक्त 0.04 बीघा का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाकर हल्का पटवारी बबराणा के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा बनेडा पटवार मण्डल बनेडा तहसील बनेडा स्थित खाता संख्या 654 का आराजी नम्बर 4666 रकबा 01.08 बीघा , 4667 रकबा 0.16 बीघा , 4668 रकबा 0.07 बीघा , 4669 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा , 4670 रकबा 0.11 बीघा , 4671 रकबा 1.08 बीघा 4672 रकबा 01.06 बीघा , 4673 रकबा 0.04 बीघा , भूमि मे पहुंचने हेतू ग्राम बनेडा की आराजी नं. 4658 रकबा 0–08 बीघा किस्म बीड मे से 0–01 बीघा तथा आराजी नं. 4659 रकबा 0–12 बीघा किस्त जाव चाही मे से 0–03 बीघा भूमि कुल किता 02 रकबा 0–04 बीघा मुताबिक रास्ता 15 फीट चोडा रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रस्तावित रास्ते के कुल रकबा क्षेत्र के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा